[2021] 7 एस. सी. आर. 619

श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टी. एच. एलआरएस। & ओआरएस।

वी.

केरल राज्य और ओ. आर. एस.

2020 का विविध आवेदन Nos.2280-2281

में

सिविल अपील सं। 2732 और 2020 का 2733

और

2021 का विविध आवेदन संख्या 1465

में

(2020 की सिविल अपील संख्या 2732)

22 सितंबर, 2021

[उदय उमेश ललित, एस. रवींद्र भाट और

बेला एम. त्रिवेदी]

त्रावणकोर-कोचीन हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम, 1950-श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर-विविध विषयों के पहले समूह में

आवेदन, प्रशासनिक और सलाहकार में से प्रत्येक की दो रिपोर्ट

मंदिर समितियों को दाखिल किया गया था-प्रशासनिक समिति की दिनांकित 10.12.2020 की रिपोर्ट में कहा गया था कि मंदिर कोविड-19 महामारी के प्रकोप और उसके बाद के लॉकडाउन के परिणामस्वरूप वित्तीय संकट का सामना कर रहा था-इसलिए, मंदिर के पिछले 25 वर्षों के लेखा परीक्षा के संबंध में दिनांकित 13.07.2020 के फैसले के पैरा 116 (e) में निहित निर्देश का पालन तभी किया जा सकता है जब स्थिति हो। सामान्य स्थिति प्राप्त होती है-दिनांक 1 की प्रशासनिक रिपोर्ट में यह कहा गया था कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर ट्रस्ट (एस. पी. एस. टी. टी.) केवल मंदिर के लाभ के लिए बनाया गया था और मंदिर इसका एकमात्र लाभार्थी है-ट्रस्ट विलेख के अनुसार, ट्रस्ट से होने वाली आय का उपयोग केवल मंदिर के लाभ के लिए किया जाना चाहिए-इससे पहले, न्यायमित्र ने अपनी रिपोर्ट (पृष्ठ 375, खंड I, अप्रैल 2014) में राय दी थी कि मंदिर के लिए ट्रस्ट की आय का उपयोग पर्याप्त रूप से स्थापित नहीं किया गया था और इस प्रकार उन्होंने मंदिर के लिए ट्रस्ट की आय का लेखा परीक्षा करने की सिफारिश की थी।

विशेष लेखापरीक्षा के दौरान न्यास के खाते-यह आगे था

31.08.2021 की रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया कि मंदिर का सामना करना पड़ रहा है

एक अभूतपूर्व संकट, जिसे केवल सहायता से ही दूर किया जा सकता है

न्यास और सरकार-विविध के दूसरे समूह में

आवेदन, एस. पी. एस. टी. टी. ने एस. पी. एस. टी. टी. को ऑडिट से बाहर करने का अनुरोध किया

अनुच्छेद 116 (छ) में दिए गए निर्देशों के अनुसार इसके खाते

2020 की सिविल अपील No.2732 में दिनांकित 13.07.2020 निर्णय, के रूप में

उक्त न्यास श्री से अलग और अलग रहता है।

पद्मनाभस्वामी मंदिर और यह भी प्रार्थना की कि

आवेदक एस. पी. एस. टी. टी. एक स्वतंत्र इकाई है जो श्री से अलग है। पद्मनाभस्वामी मंदिर और इसके अंतर्गत नहीं आता है

प्रशासनिक समिति का प्रशासनिक नियंत्रण और/या

त्रावणकोर कोचीन हिंदू धार्मिक के तहत सलाहकार समिति बंदोबस्ती अधिनियम, 1950- आयोजितः यदि उक्त में दिशा No.116 (g) है

निर्णय, के लिए अग्रणी विकास के प्रकाश में माना जाता है

13.07.2020 दिनांकित निर्णय का पारित होना, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि

उक्त निर्देश द्वारा विचारित लेखापरीक्षा को सीमित करने का इरादा नहीं था

मंदिर के लिए लेकिन एसपीएसटीटी के संबंध में भी था-यह दिशा

15.04.2014 की रिपोर्ट के आलोक में देखा जाना चाहिए

न्यायमित्र और एस. पी. एस. टी. टी. की प्रस्तुतियाँ, जैसा कि में दर्ज है

05.05.2015 दिनांकित आदेश, जिसमें न्यास द्वारा कहा गया था कि यह

बहिष्कृत करने के लिए विविध अनुप्रयोग के दूसरे बैच में बनाया गया लेखापरीक्षा से एस. पी. एस. टी. टी. को अस्वीकार कर दिया जाता है और जहां तक दूसरी प्रार्थना की बात है तो

मान लीजिए कि आवेदक एस. पी. एस. टी. टी. एक स्वतंत्र इकाई अलग रूप है।

श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर का संबंध है, इसकी आवश्यकता होगी तथ्यों का मूल्यांकन और उनका विश्लेषण अनुमोदनपूर्वक किया जा सकता है।

मंदिर, यह निर्देश दिया जाता है कि विशेष लेखा परीक्षा, श्री के संबंध में पद्मनाभस्वामी मंदिर और एस. पी. एस. टी. टी. को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।

संभव है।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः विविध अनुप्रयोग

नं. 2280-2281 सिविल अपील सं. 2020 में।

2732 और 2020 का 2733 और श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएच। एलआरएस। & ओआरएस। वी. का राज्य

केराला और ओआरएस।

2020 की सिविल अपील संख्या 2732 में 2021 का विविध आवेदन No.1465। डब्ल्यू. पी. में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 31.01.2011 के निर्णय और आदेश से। (ग) 2009 का No.36487।

आर. बसंत, सीनियर एड. , टी. जी. नारायणन नायर, मनु कृष्णन, वी. श्यामोहन, सूर्य प्रकाश, जिष्णु एम. एल, सुश्री प्रियंका प्रकाश,

जी. प्रकाश, प्रताप वेणुगोपाल, सुश्री सुरेखा रमन, अखिल अब्राहम रॉय, विजय वल्सन, मेसर्स के. जे. जॉन एंड कंपनी, पी. एस. सुधीर, सुश्री ऐनी मैथ्यू, भारत सूद, सुश्री श्रुति जोस, जे. साई दीपक, सुविदत्त एम. एस., सुश्री धन्या सी., सुश्री अनु बी., सुश्री विजयलक्ष्मी राजू, गौतम नारायण, वेंकिता सुब्रमण्यम टी. आर., वी. के. सिद्धार्थन, रमेश बाबू एम. आर., रंजन कुमार, एम. पी. विनोद, के. राजीव, आर. सतीश, रवि प्रकाश मेहरोत्रा, एम. पी. देवनाथ, के. आर. शशिप्रभु, सुमित अट्ट पी., सी. के. सासी, वी. रामसुब्रमण्यम, साणंद रामकृष्णन, सुश्री उषा नंदिनी वी., प्रवीण स्वरूप, सुश्री मंजू जेटली, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश

1. 2020 के विविध अनुप्रयोग Nos.2280-2281 में, दो

श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की प्रशासनिक और सलाहकार समितियों में से प्रत्येक की रिपोर्ट दिनांक 10.12.2020 और 31.8.2021 दाखिल की गई है।

ए) प्रशासनिक समिति की रिपोर्ट दिनांकित 10.12.2020 है

कहा गयाः

" मैं बता सकता हूं कि वर्तमान में, मंदिर कोविड-19 महामारी के प्रकोप के परिणामस्वरूप वित्तीय संकट का सामना कर रहा है और

बाद का लॉकडाउन। केंद्र और राज्य सरकारों के दिशानिर्देशों/स्वास्थ्य सलाह के अनुपालन में, 24.03.2020 से 25.08.2020 की अवधि के दौरान मंदिर में भक्तों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वैसे भी, बिना किसी बाधा के, उक्त अवधि के दौरान नियमित अनुष्ठान और पूजा की जाती थी। इस अवधि के दौरान मंदिर में आय का कोई प्रवाह नहीं था।

लॉकडाउन के दौरान, लेकिन, नियमित अनुष्ठानों, वेतन, मजदूरी, पेंशन, पारिवारिक पेंशन आदि और अन्य आवर्ती खर्चों को पूरा करने के लिए भारी राशि खर्च करनी पड़ी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जब तक लॉकडाउन की घोषणा लगभग समाप्त नहीं हो गई है तब तक उपार्जित

बाहर निकलें। 26.08.2020 से, भक्तों का प्रवेश फिर से शुरू किया गया था

कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रतिबंध। लेकिन इसके परिणामस्वरूप

मौजूदा स्थिति में मंदिर की आय बहुत कम है जो

वेतन, मजदूरी के खर्च को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है,

पेंशन, पारिवारिक पेंशन और अन्य नियमित खर्च। विचार करें। मंदिर की वित्तीय स्थिति, पर आयोजित संयुक्त बैठक में

11.10.2020 , अनुदान देने के लिए सरकार को संबोधित करने का संकल्प लिया गया

राज्य सरकार द्वारा खर्च की गई राशि को वापस करने का समय।

पैरा 116 (ई) में निहित निर्देशों का पालन किया जा सकता है।

केवल तभी जब स्थिति सामान्य हो। विशेष लेखा परीक्षा

निर्णय के पैराग्राफ 116 (जी) में यह निर्देश दिया गया था कि

समितियाँः

" (छ) सुझाउ के अनुसार पिछले 25 वर्षों के लिए लेखा परीक्षा का आदेश देंगे।

विद्वान न्यायमित्र द्वारा। ऑडिट किया जाएगा। प्रतिष्ठित सनदी लेखाकारों की एक फर्म द्वारा। सलाह

समिति इस बात पर भी विचार करेगी कि आगे क्या कदम उठाने की आवश्यकता है।

मंदिर की संपत्तियों के संरक्षण के लिए लिया गया, दोनों चल और अचल "।

संयुक्त बैठक में विचार-विमर्श के बाद, प्रस्ताव के अनुसार

दिनांक 27.10.2020, मेसर्स श्रीधर एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, तिरुवनंतपुरम को संचालन के लिए लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है

श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, श्री के संबंध में विशेष लेखा परीक्षा

पद्मनाभ स्वामी मंदिर न्यास और अन्य संबद्ध न्यास,

25 वर्ष की अवधि, जैसा कि विद्वान न्यायमित्र ने सुझाव दिया था उसकी रिपोर्ट दिनांक 15.04.2014, वित्तीय वर्ष 1989-90 से

2013-14 . "

बी) प्रशासनिक समिति की रिपोर्ट दिनांक 31.08.2021 में, यह है

कहा गयाः

" 3. माननीय द्वारा निर्देशित 25 वर्षों के लिए विशेष लेखा परीक्षा

उच्चतम न्यायालय ने खातों के संबंध में शुरू किया है

विद्वान न्यायमित्र द्वारा सुझाए गए। जबकि, विद्वान न्यायमित्र ने सुझाव दिया है (अपनी रिपोर्ट के पैराग्राफ 65 में दिनांकित मार्तंड वर्मा (डी) टीएच।

एलआरएस। & ओआरएस। वी. का राज्य

केराला और ओआरएस।

15.4.2014) श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर न्यास और संबद्ध न्यासों के लेखापरीक्षा के साथ-साथ मंदिर के लेखापरीक्षा के लिए। इस प्रकार, लेखा परीक्षक को श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर न्यास और संबद्ध न्यासों के खातों का 25 वर्षों की अवधि के लिए विशेष लेखा परीक्षा करने का काम सौंपा गया था। लेकिन लेखा परीक्षक ने अब सूचित किया है कि हालांकि उन्होंने एक पत्र दिया है, लेकिन उक्त न्यास ने अभी तक लेखा परीक्षा दल को न्यास के खाते प्रदान नहीं किए हैं। इसमें

इस परिस्थिति में, मैं निम्नलिखित तथ्यों की रिपोर्ट कर सकता हूं।

4. न्यास के उद्देश्य, उसके पंजीकृत विलेख No.66/के अनुसार

1965 दिनांकित 12.08.1965 इस प्रकार हैंः

(1) मंदिर में और उसकी मरम्मत की नियमित और प्रमुख वस्तुएँ,

परिसर की दीवारों सहित।

(2) मंदिर में उपयोग किए जाने वाले वाहनम, आभूषणों और पूजा पात्रों की नियमित और प्रमुख मरम्मत की वस्तु।

(3) उन वस्तुओं के संबंध में विलावसी का भुगतान जो पहले हुआ करती थीं

उन वस्तुओं के संबंध में लागत जिनकी आपूर्ति का स्रोत पैलेस पानीवागाई, कंदुकृषि और निथ्याचिलावु के रूप में निर्दिष्ट है पाथिवोस।

(4) में उपयोग किए जाने वाले पूजा पात्रों के अलावा अन्य जहाजों की वार्षिक मरम्मत

मंदिर।

(5) नए जहाजों का निर्माण या खरीद और आपूर्ति

मंदिर में उपयोग करें।

(6) भाग्यसूक्त जापोम और विसेशल नेई का प्रदर्शन

मंदिर में जपम।

(7) चथायम तिरुवेली का प्रदर्शन और अन्य की लागत

खर्चों की विविध मदें। (8) मंदिर में गणपति होम का प्रदर्शन। जुलाई में 41 दिनों के लिए परदेशी पक्ष जपम का प्रदर्शन /

हर साल अगस्त में मंदिर में।

(9) मुराजापोम के अब तक के रूप में प्रदर्शन और

छह साल में एक बार मंदिर में लक्षदीपम, जिसमें से पहला वर्ष में इस वाद्य के तहत किया जाना है।

1971 .

(10) कार्य की ऐसी पूँजीगत वस्तुएँ जो आवश्यक हों - समय-समय पर मंदिर में और परिसर की दीवारों सहित।

5. इसके बाद, 10-01-1970 पर ट्रस्ट के एक पूरक अनुबंध को निष्पादित करके कुछ और वस्तुओं को भी जोड़ा गया।

आई. थरनल्लूर नम्बूदिरीपद को दक्षिण का भुगतान

श्री में भद्रदीपम समारोहों के साथ संबंध

ii. (क) एकादशी के दिनों में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में देवन कादलीपाझम की आपूर्ति करना। (ख) श्री पद्मनाभ में प्रतिदिन अभिषेक के लिए दूध की आपूर्ति करना।

स्वामी मंदिर।

iii. उत्सव उत्सव के दौरान दस दिनों के लिए परदेशी पक्ष सहस्रनाम जापोम का प्रदर्शन; iv. कार्यकारी अधिकारी और कर्मचारियों के वेतन पर व्यय।

7. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, विद्वान न्यायमित्र ने अपनी रिपोर्ट (पृष्ठ 375, खंड I, अप्रैल 2014) में राय दी गई है कि मंदिर के लिए न्यास की आय का उपयोग पर्याप्त रूप से स्थापित नहीं किया गया है और इस प्रकार उन्होंने विशेष लेखा परीक्षा के दौरान न्यास के खातों की लेखा परीक्षा करने की सिफारिश की है।

*** *** ***

10. मैं सबसे विनम्रता से बता सकता हूं कि अपनी आय में सुधार करने और दैनिक मजदूरी रोजगार में भारी कमी करके भी अपने खर्च में कटौती करने के लिए मंदिर के गंभीर प्रयासों के बावजूद, यह आय और व्यय के अंतर को भरने में सक्षम नहीं है। अब तक, संकट का प्रबंधन विभिन्न सावधि जमा मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएच में उपलब्ध धन का उपयोग करके किया जाता है।

एलआरएस। & ओआरएस। वी. का राज्य

केराला और ओआरएस।

और बचत बैंक खाते, लेकिन उक्त राशि पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, यदि मंदिर अगले दो महीनों के वेतन और उपदान और अन्य ऋणों के लिए देय राशि का भुगतान करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मंदिर एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है, जो

ट्रस्ट और सरकार की सहायता से ही इसे पूरा किया जा सकता है।

2. 2021 का विविध आवेदन No.1465 पद्मनाभ स्वामी मंदिर ट्रस्ट ('एस. पी. एस. टी. टी.', संक्षेप में) द्वारा दायर किया गया है। कैशन में, यह दावा किया गया हैः

" 2. आवेदक श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर न्यास एक स्वतंत्र न्यास है जिसे वर्ष 1965 ("एस. पी. एस. टी. टी".) में तत्कालीन "त्रावणकोर के शासक" श्री चिथिरा तिरुनल बाल राम वर्मा द्वारा मंदिर में भक्ति प्रसाद, अन्य निर्दिष्ट धार्मिक संस्कारों और कुछ कार्यों को निरंतर जारी रखने के लिए बनाया गया था।

स्वामित्व और वही उक्त भवनों के रखरखाव और रखरखाव, छोटे प्रशासनिक खर्चों, प्रसाद के लिए खर्च किया जाता है। मंदिर के लिए और उसके उद्देश्यों के अनुसार। आवेदक के स्वामित्व वाली अधिकांश इमारतें पुरानी हैं और महान ऐतिहासिक हैं।

महत्व।

*** *** ***

5. 1965 में श्री चिथिरा द्वारा आवेदक बनाया गया था।

थिरुनल बाल राम वर्मा, राज्य के पूर्व शासक

त्रावणकोर विशिष्ट अनुष्ठानों/कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से 25.06.1965 दिनांकित समझौते के एक अनुबंध द्वारा

राज्य के नुकसान के बाद मंदिर में उनके द्वारा जारी रखा गया। प्रारंभिक कोष चार प्रतिशत मद्रास राज्य विकास ऋण, 1971 था।

संस्थापक द्वारा हस्तांतरित Rs.10,000/- के अंकित मूल्य का। इसके बाद, शासक अपनी कुछ निजी अचल संपत्तियों और इमारतों को एस. पी. एस. टी. टी. में जोड़ता रहा। एस. पी. एस. टी. टी. का निर्माण अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि पूर्ववर्ती शाही परिवार की भक्ति के एक हिस्से के रूप में मंदिर को विशेष प्रसाद और कार्य सुचारू रूप से और सदियों पुराने रीति-रिवाजों और परंपराओं से बिना किसी विचलन के किए जा सकें। हालाँकि, उद्देश्य भी

इसमें चथायम तिरुवेली का पारिवारिक अनुष्ठान शामिल था, जो [2021] 7 एस. सी. आर. है।

संस्थापक न्यासी के सबसे बड़े भतीजे की वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया, जिनका 6 साल की उम्र में निधन हो गया था। 9. यह प्रस्तुत किया जाता है कि एस. पी. एस. टी. टी. का गठन मंदिर के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए नकद भुगतान करने के उद्देश्य से नहीं किया गया था। जैसा कि ऊपर बताया गया है, एस. पी. एस. टी. टी. का गठन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि

पूर्ववर्ती शाही परिवार द्वारा मंदिर में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को जारी रखना। पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि एस. पी. एस. टी. टी. का उद्देश्य मंदिर को चलाना नहीं था, बल्कि इसके उद्देश्यों के अनुरूप कुछ पूजाओं और वज़ीपाडू के लिए कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करना था। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि एस. पी. एस. टी. टी. द्वारा मंदिर को किया गया भुगतान इसके सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए तय किया गया था, और इसमें पूजा या प्रसाद के प्रदर्शन के लिए किए गए पूरे खर्च को शामिल नहीं किया गया था। इसके अलावा, एस. पी. एस. टी. टी. की आय समय के साथ मंदिर की आवश्यकताओं के आधार पर न्यासियों द्वारा हस्तांतरित की जाने वाली इमारतों के कारण पंगु हो गई। उदाहरण के लिए, दो से अधिक इमारतों को मंदिर की सुरक्षा के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था। इन हस्तांतरणों ने मंदिर को बहुत सीमित राजस्व अर्जित करने वाली संपत्तियों के साथ छोड़ दिया। कहने की जरूरत नहीं है, मंदिर का खर्च समय के साथ बढ़ता रहा।

2.1 विद्वान न्यायमित्र की रिपोर्ट को निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया हैः

" 14. एल. डी. न्यायमित्र ने अपनी दिनांकित रिपोर्ट 15.04.2014 में मंदिर के विशेष ऑडिट के संचालन सहित कई सिफारिशें कीं। विशेष रूप से, रिपोर्ट ने सिफारिश की किः

" 65. यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारत के पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक श्री विनोद राय द्वारा एक विशेष लेखा परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि लेखा परीक्षकों की एक टीम नियुक्त की गई है उसके द्वारा पिछले 25 वर्षों से श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर के संबंध में पूर्ण लेखा परीक्षा की जाएगी। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि उसे अपनी हिरासत में लेने और न्यास की संपत्तियों के सभी दस्तावेजों को तुरंत सील करने का अधिकार दिया जाए। उक्त लेखापरीक्षा में न केवल श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर, बल्कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर न्यास और अन्य संबद्ध न्यास भी शामिल होने चाहिए।

15. उक्त रिपोर्ट के अनुसार, इस माननीय न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने दिनांक 24.04.2014 के आदेश में निम्नानुसार निर्देश दिया हैः

" मंदिर और उसकी संपत्तियों का एक विशेष लेखा परीक्षा जितनी जल्दी हो सके, अधिमानतः श्री विनोद आर्थंद वर्मा (डी) टीएच द्वारा किया जाएगा।

एलआरएस। & ओआरएस। वी. का राज्य

केराला और ओआरएस।

राय, भारत के पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। वह इस कार्य को पूरा करने में किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्ति की सेवा/सहायता लेने के लिए स्वतंत्र होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि एल. डी. द्वारा अनुशंसित है। न्यायमित्र, इस माननीय न्यायालय ने लेखापरीक्षा का निर्देश नहीं दिया था

आवेदक या अन्य न्यासों से। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

आवेदक की संपत्तियाँ मंदिर की संपत्तियों का हिस्सा नहीं हैं। यह तथ्य आवेदक द्वारा सूचित किया गया था

विशेष लेखा परीक्षा अधिकारियों ने अपने दिनांकित 20.09.2014 पत्र का वीडियो बनाया।

*** *** ***

. इसके बाद, जब याचिका को 05.05.2015 पर सूचीबद्ध किया गया, तो इस न्यायालय ने एल. डी. की दलीलों पर ध्यान दिया। वकील आर आवेदक निम्नानुसार हैः

" ..... श्री अरविंद पी. दातार, विद्वान वकील

ट्रस्ट प्रस्तुत करता है कि हालांकि इस अवधि के लिए विशेष लेखा परीक्षा

01.04.2008 आई. डी. 1 का संचालन पहले ही किया जा चुका है और इस न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, ट्रस्ट को उक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट की जांच करने और नए सिरे से लेखा परीक्षा आयोजित करने में श्री राय के साथ सहयोग करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, यदि उनकी राय में ऐसा करना आवश्यक है। उस मामले में एक लेखा परीक्षा हो सकती है

01.04.2008 से 01.04.2014 तक की पूरी अवधि।

श्री दातार आगे प्रस्तुत करते हैं कि श्री राय से अनुरोध किया जा सकता है कि

लेखापरीक्षा को पूरा करने के लिए जो भी प्रश्न प्रासंगिक माने जाते हैं, उन्हें उठाएं ताकि न्यास उसी का उपयुक्त उत्तर दे सके। इसके अलावा, इस माननीय न्यायालय ने एस. पी. एस. टी. टी. (मैसर्स मनोहर चौधरी) की ओर से दायर ऑडिट रिपोर्ट की प्रति का निर्देश दिया।

श्री विनोद राय को उनके अवलोकन और मूल्यांकन के लिए और आगे निर्देश दिया कि यदि श्री राय पहले से किए गए लेखापरीक्षा पर विचार करने पर यह राय रखते हैं कि 01.04.2008 के बाद की अवधि के लिए एक नया/विशेष लेखापरीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता है, तो वह उस अभ्यास को करने के लिए स्वतंत्र होंगे। एस. पी. एस. टी. टी. को ऐसी सभी जानकारी और रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया जो उस कवायद को पूरा करने के लिए आवश्यक हो। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि श्री राय भी कोई भी सवाल उठाएंगे

जो लेखा परीक्षा को पूरा करने के लिए प्रासंगिक हो सकता है ताकि न्यास उन्हें जवाब दे सके। उपरोक्त निर्देशों के साथ, यह एल. डी. द्वारा की गई सिफारिश प्रस्तुत की जाती है। न्यायमित्र के साथ

आवेदक के सम्मान पर विचार किया गया और कार्रवाई की गई। "[2021] 7 एस. सी. आर.

18. कि इस माननीय न्यायालय ने 09.10.2015 पर श्री विनोद से अनुरोध किया

राय 01.04.2009 से 01.04.2014 की अवधि के लिए एस. पी. एस. टी. टी. का लेखापरीक्षा पूरा करेंगे और रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त आदेश के अनुसार, विशेष लेखा परीक्षा प्राधिकरण ने जून, 2015 से आवेदक का विस्तृत लेखा परीक्षा किया और 28.03.2016 पर इस माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है। कि उक्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ऐसा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है किः

(क) एस. पी. एस. टी. टी. के गुण इसके गुणों का हिस्सा हैं।

मंदिर;

(ख) मंदिर से एस. पी. एस. टी. टी. को धन हस्तांतरित किया गया है; (ग) न्यास को प्रशासन का जिम्मा सौंपा गया है।

मंदिर;

(घ) अनुष्ठानों और संस्कारों से संबंधित किसी भी मामले पर न्यास और मंदिर के बीच कोई समझौता मौजूद है या

मंदिर में कोई अन्य कार्य;

(ङ) एस. पी. एस. टी. टी. का कार्य मंदिर के प्रति उत्तरदायी है।

प्रशासन; या वह

(च) दोनों के बीच कानूनी रूप से लेखापरीक्षा योग्य संबंध मौजूद है।

एस. पी. एस. टी. टी और मंदिर "।

2.2 सिविल अपील में इस न्यायालय द्वारा पारित कुछ अंतरिम आदेश

732 2020 की रिपोर्ट और विद्वान न्यायमित्र की रिपोर्ट दिनांकित

. 2014 जिनका उल्लेख नीचे किया गया हैः

मंदिर समितियों का लेखापरीक्षा करने का निर्णय आवेदक निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए गलत धारणा में है, अन्य बातों के अलावा,

कारणः

आई. आवेदक मंदिर से एक अलग और अलग इकाई है। इस माननीय न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा इसके विपरीत कोई निष्कर्ष नहीं हैं, क्योंकि इस पहलू पर कोई निर्णय नहीं हुआ था।

ii. अध्याय द्वारा विचारित मंदिर का प्रशासन

फैसले के अनुसार टी. सी. अधिनियम की तीसरी धारा को प्रशासनिक समिति और सलाहकार समिति को सौंप दिया गया है। आवेदक सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करता है कि समितियों को, टी. सी. अधिनियम के तहत, आवेदक आर. टी. एच. ए. एन. डी. ए. वी. आर. एम. ए. (डी) टी. एच. की लेखा परीक्षा का निर्देश देने का अधिकार नहीं है।

एलआरएस। & ओआरएस। वी. राज्य की स्थिति

केराला और ओआरएस।

- एक तीसरा पक्ष जो स्वतंत्र और उससे अलग है

मंदिर। ऐसी कार्रवाई, जो प्रस्तुत की जाती है, अवैध होगी, जो टी. सी. अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगी और इसके निर्देशों के दायरे से बाहर होगी।

यह माननीय न्यायालय। निर्णय के अनुच्छेद 116 पर दी गई निर्भरता, आवेदक के लेखापरीक्षा को निर्देशित करने के उद्देश्य से, यह है

सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है, निर्देश के रूप में गलत दिशा में निर्देशित किया जाता है उसमें निहित कार्य मंदिर की समितियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों से संबंधित हैं, जिनके संबंध में

मंदिर का प्रशासन, आगे के रास्ते में। उक्त निर्देशों की व्याख्या पूर्ववर्ती शासक द्वारा बनाए गए न्यासों पर नियंत्रण रखने के लिए नहीं की जा सकती है।

विभिन्न वस्तुओं का प्रदर्शन करना;

निर्णय के पैराग्राफ 116 के खंड (जी) को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि लेखा परीक्षा मुख्य रूप से मंदिर और उसकी संपत्तियों से संबंधित है, जो अंतर्निहित मुकदमेबाजी का विषय है। इस संबंध में, यह देखा जा सकता है कि किसी भी लेखापरीक्षा रिपोर्ट से यह नहीं पता चलता है कि मंदिर की कोई संपत्ति या धन आवेदक को हस्तांतरित किया गया है या उसने कोई भूमिका निभाई है। मंदिर के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन में भूमिका;

यह प्रस्तुत किया गया निर्णय विशेष रूप से एस. पी. एस. टी. टी. से संबंधित नहीं था। यह दोहराया जाता है कि इस माननीय न्यायालय के पास मंदिर या उसके कार्यों के साथ एस. पी. एस. टी. टी. के संबंध पर विचार करने का अवसर नहीं था, जिसके लिए एक निर्देश की आवश्यकता होती है -

एस. पी. एस. टी. टी. के खातों का लेखापरीक्षा करने के लिए पारित किया गया;

आवेदक को इस माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुसार एक विशेष लेखा परीक्षा के अधीन किया गया था और उसने एक शपथ पत्र के माध्यम से उसी पर विस्तृत आपत्तियां भी दायर की थीं। दी गई परिस्थितियों में, आवेदक को एक और लेखा परीक्षा के अधीन करना, विशेष रूप से जब वह हमेशा एक स्वतंत्र न्यास के रूप में बना रहता है, अत्यधिक अनुचित और अनुचित है; और

एस. पी. एस. टी. टी. के लेखापरीक्षा करने का सुझाव था

इसका पुरजोर विरोध किया गया और उक्त पहलू, जिसे सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया गया है, इस माननीय न्यायालय द्वारा अपने पिछले आदेशों में निपटा गया था। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2.3 परिसर में, आवेदन प्रार्थना करता हैः " (क) वर्तमान आवेदन को अनुमति दें और श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर न्यास को 2020 की सिविल अपील No.2732 में दिनांकित 13.07.2020 के फैसले के पैराग्राफ 116 (जी) में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने खातों के ऑडिट से बाहर करने के लिए उचित निर्देश पारित करें।

जैसा कि उक्त न्यास श्री से अलग और अलग रहता है। पद्मनाभस्वामी मंदिर;

(ख) एक उचित आदेश पारित करें जिसमें कहा गया है कि आवेदक श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर न्यास श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर से अलग एक स्वतंत्र इकाई है और यह त्रावणकोर कोचीन हिंदू के तहत प्रशासनिक समिति और/या सलाहकार समिति के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं आता है।

धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1950 ”

3. इस पृष्ठभूमि में, सिविल अपील का निपटारा करते हुए 13.07.2020 के इस न्यायालय के फैसले द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियां No.2732

और संबद्ध मामलों पर अब ध्यान दिया जाना चाहिएः

" 34. इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 05.05.2015 आदेश में उल्लेख किया गया है कि

विद्वान न्यायमित्र की प्रस्तुति कि एक लेखापरीक्षा होनी चाहिए

पद्मनाभस्वामी के खाते के संबंध में आयोजित

अपीलकर्ताओं ने कहा कि इस अवधि के लिए एक विशेष लेखा परीक्षा पहले ही आयोजित की जा चुकी थी, लेकिन उन्हें सहयोग करने में कोई आपत्ति नहीं होगी श्री राय के साथ। अतः आदेश में निर्देश दिया गया हैः

" इन परिस्थितियों में, इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि

इस न्यायालय में पद्मनाभन स्वामी न्यास की ओर से आई. डी. 1 अवधि के लिए दाखिल की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट को श्री राय को उनके अवलोकन और मूल्यांकन के लिए भेजा जाएगा। हम आगे निर्देश देते हैं कि यदि श्री राय पहले से ही लेखापरीक्षा पर विचार कर चुके हैं यह राय है कि आई. डी. 1 के बाद की अवधि के लिए एक नया/विशेष लेखा परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता है, वह उस अभ्यास को करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिस स्थिति में न्यास ऐसी सभी जानकारी और रिकॉर्ड उपलब्ध कराएगा जो उस अभ्यास को पूरा करने के लिए आवश्यक हो। श्री राय भी करेंगे।

किसी भी प्रश्न को उठाना जो लेखा परीक्षा को पूरा करने के लिए प्रासंगिक हो सकता है ताकि न्यास उन्हें उत्तर दे सके। हम लेखा परीक्षा को पूरा करने का समय 31.12.2015 तक बढ़ाते हैं।

मार्तण्ड वर्मा (डी) टी. एच. एलआरएस। & ओआरएस। वी. का राज्य

केराला और ओआरएस।

हम राज्य सरकार को विशेषज्ञ से संपर्क करने की अनुमति देते हैं

प्राचीन वस्तुओं और कलाकृतियों का आविष्कार और संग्रह केल्ट्रोन और विशेषज्ञ समिति जो

ऐसे किसी भी अनुरोध पर विचार करने पर उस संबंध में उचित आदेश जारी किए जाते हैं। श्री राय ने दिनांक 1.04.2015 के संचार के संदर्भ में रुपये की राशि की मांग की है। 45,00,000 / दिसंबर, 2015 तक की अवधि के लिए खर्च आदि सहित कुल शुल्क का प्रतिनिधित्व करता है। उक्त राशि को जारी करने के लिए पक्षों की ओर से पेश होने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति नहीं है। श्री राय का समर्थन। हम तदनुसार प्रशासनिक समिति को श्री राय द्वारा बिल की गई राशि जारी करने का निर्देश देते हैं।

***

*** ***

36. मार्च 2016 में, श्री के विशेष लेखा परीक्षा के बारे में रिपोर्ट

पद्मनाभस्वामी मंदिर, इसकी संपत्तियाँ और श्री पद्मनाभ

स्वामी मंदिर न्यास श्री विनोद राय द्वारा दायर किया गया था।

दो खंडों के साथ "प्रमुख लेखापरीक्षा अवलोकन और

सिफारिशें "।

इस न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासनिक समिति

13.06.2017 पर निम्नानुसार हल किया गयाः

" समिति वित्तीय पर अंधेरे में है

मंदिर की स्थिति। तिमाही बजट प्रस्ताव

तैयार किया जाना चाहिए और समिति को सूचित किया जाना चाहिए। इसी तरह मासिक लेखा विवरण प्रत्येक उत्तरवर्ती तिथि की 10 तारीख से पहले समिति के समक्ष रखा जाना चाहिए।

महीना। इस मामले की जानकारी कार्यपालिका को दी जाएगी।

अधिकारी "।

प्रस्ताव के बारे में कार्यकारी अधिकारी को सूचित कर दिया गया था। 3.1 विद्वान न्यायमित्र द्वारा की गई प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए

ई, एहि न्यायालय द्वारा जारी निर्देश सं. 116 (छ) निम्नलिखित छलः

(छ) विद्वान न्यायमित्र द्वारा सुझाए गए पिछले 25 वर्षों के लेखा परीक्षा का आदेश देंगे। लेखापरीक्षा प्रतिष्ठित सनदी लेखाकारों की एक फर्म द्वारा की जाएगी। सलाहकार समिति इस बात पर भी विचार करेगी कि इसके लिए आगे क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। मंदिर की चल और अचल दोनों संपत्तियों का संरक्षण। "[2021] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. श्री पद्मनाभस्वामी की प्रशासनिक और सलाहकार समितियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. बसंत मंदिर ने उपरोक्त रिपोर्टों में की गई प्रस्तुतियों को दोहराया है। दूसरी ओर, एस. पी. एस. टी. टी. की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरविंद पी. दातार ने अनुरोध किया है कि यह न्यायालय एस. पी. एस. टी. टी. को श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर से अलग एक स्वतंत्र इकाई घोषित करने के लिए उचित आदेश पारित कर सकता है।

5. विद्वान न्यायमित्र की दिनांकित रिपोर्ट के जवाब में

15.04.2014 , इस न्यायालय ने अपने दिनांक 1 के आदेश में शुरू में निर्देश दिया था कि मंदिर और उसकी संपत्तियों का विशेष ऑडिट श्री विनोद राय द्वारा किया जाए। बाद में, दिनांक 1 के आदेश में एस. पी. एस. टी. टी. की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरविंद पी. दातार की दलीलें दर्ज की गईं कि न्यास को लेखा परीक्षा रिपोर्टों की जांच करने और नए सिरे से लेखा परीक्षा आयोजित करने में श्री राय के साथ सहयोग करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

6. यदि निर्देश No.116 (g) जैसा कि ऊपर कहा गया है, उस घटनाक्रम के आलोक में माना जाता है जिससे दिनांकित 13.07.2020 का निर्णय पारित हो जाता है, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उक्त निर्देश द्वारा विचारित लेखा परीक्षा नहीं थी

इसका उद्देश्य मंदिर तक ही सीमित रहना था, लेकिन यह एस. पी. एस. टी. टी. के संबंध में भी था। इस निर्देश को विद्वान न्यायमित्र की दिनांकित 15.04.2014 रिपोर्ट और विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरविंद पी. दातार की प्रस्तुतियों के आलोक में देखा जाना चाहिए, जैसा कि दिनांकित 05.05.2015 आदेश में दर्ज है।

इस प्रकार, 2021 के विविध आवेदन संख्या 1465 में की गई पहली प्रार्थना को अस्वीकार किया जाना चाहिए।

7. उक्त विविध अनुप्रयोग में की गई दूसरी प्रार्थना के लिए तथ्यों के मूल्यांकन की आवश्यकता होगी जिसका विश्लेषण उचित रूप से किया जा सकता है।

किसी न्यायालय या उस प्रश्न में जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष लेखापरीक्षा के बाद जैसा कि निर्देश No.116 (g) में निर्देशित किया गया है और जैसा कि ऊपर समझाया गया है, आयोजित किया जाता है। इसलिए हम दूसरी प्रार्थना से संबंधित मुद्दों में जाने से बचते हैं।

8. इस प्रकार, 2021 की विविध आवेदन संख्या 1465 का उपरोक्त शर्तों में निपटारा किया जाता है।

9. अब हम प्रशासनिक और सलाहकार समितियों द्वारा दायर की गई रिपोर्टों पर आते हैं। में पहली प्रार्थना के संबंध में हमारा जवाब 2021 का विविध आवेदन No.1465 श्री मार्तण्ड वर्मा (डी) टीएच लेने के लिए पर्याप्त होगा।

एलआरएस। & ओआरएस। वी. का राज्य

केराला और ओआरएस।

दिनांक 27.10.2020 के संकल्प में विशेष लेखापरीक्षा के मुद्दे का ध्यान रखना। हालाँकि, 31.08.2021 की रिपोर्ट में बताई गई तात्कालिकता तत्काल कार्रवाई की मांग करती है। इसलिए हम निर्देश देते हैं कि श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर और एस. पी. एस. टी. टी. के संबंध में विशेष लेखा परीक्षा, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जल्द से जल्द और अधिमानतः इस आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर पूरी की जाए।

10. चूंकि दिनांक 1 के आदेश में एस. पी. एस. टी. टी. के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरविंद पी. दातार का बयान दर्ज किया गया था, हम निश्चित हैं।

कि एस. पी. एस. टी. टी. विशेष लेखापरीक्षा के संचालन में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

अंकित ज्ञान

विविध आवेदन का निपटारा किया गया।